न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0 नि0 अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0), बरेली।

CNR No.UPBR010069092026

जमानत आवेदन पत्र संख्या – 2078/2026

राकेश बाबू पुत्र सूरज पाल,
निवासी नवदिया पडेरा रोड, थाना फरीदपुर, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0– 413/2026
धारा–64(2)m,351(3) बी0एन0एस0
थाना– इज्जतनगर, जिला–बरेली।

दिनांकः 27.06.2026

थाना इज्जतनगर, जिला बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–413/2026 धारा–64(2)m.,351(3) बी0एन0एस0 में अभियुक्त राकेश बाबू की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियुक्त की ओर से सूरज पाल पुत्र रामचन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में न ही लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा पीड़िता पुत्री भूप सिंह, के द्वारा दिनांक 21.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना इज्जतनगर जिला बरेली को इस आश्य का प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं कलापुर की रहने वाली हूँ मेरे मामा राकेश बाबू निवासी फरीदपुर का रहने वाला है मेरे साथ पिछले एक साल से मेरा शोषण कर रहा है। मैं CDS की तैयारी कर रही हूँ। मेरे मामा राकेश रिटायर्ट फौजी है उनसे NCC जानकारी लेने के लिये मैंने सम्पर्क किया। मेरे मामा ने कहा कि तुम घर आना तो मैं अपने मामा राकेश के घर फरीदपुर गई। सितम्बर 2025 की घटना है तारीख मुझे याद नहीं है। मेरे मामा राकेश ने मेरे साथ वहाँ छेड़छाड़ की और मुझे डराया धमकाया। मैं वहाँ से आ गयी मैंने डर की वजह से यह बात किसी को नहीं बताई। मैं मोबाईल यूज नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे मामा राकेश लगातार मेरे मम्मी पापा के नम्बर पर कल करते थे और कहते कि शीतल से बात करवा दो, फिर मैंने अपने सारी बात बता दी। दिसम्बर 2025 में मेरे मामा मेरे NCC कैम्प के बाहर कार से आये मुझे बाहर बुलवाया और रिवाल्वर दिखाक मुझे कार में बैठने को कहा, फिर कार में ही रिवाल्वर दिखाकर मेरे साथ बिना मर्जी के बलात्कार किया, रिवाल्वर दिखाकर अश्लील फोटो ली। जनवरी महीने में भी उसने (राकेश) मामा ने पीलीभीत रोड पर कार रोक कर मुझे रिवाल्वर दिखाकर मेरे साथ जबरदस्ती सम्बंध बनाए। दिनांक 19.05.2026 को मेरे मामा राकेश मेरे घर कलापुर आये मेरे मम्मी पापा से बोला कि शीतल को बुलाओ मैं उससे शादी करुगा, उसे मेरे साथ भेज दो अगर शादी नहीं करोगी तो मैं पूरे घर को मार दूगाँ, कहीं दूसरी जगह शादी नहीं होने दूगाँ।

तदोपरान्त वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दिनांक 21.05.2026 को समय 23:45 बजे थाना इज्जतनगर जिला बरेली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–413/2026, अंतर्गत धारा– 64(2)m.,351(3) बी0एन0एस0 में अभियुक्त राकेश बाबू के विरुद्ध पंजीकृत की गई। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार उक्त मामले विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त राकेश बाबू का संक्षेप में जमानत आवेदन पत्र में कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। एफ.आई.आर. अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त से पीड़िता के पिता छः लाख रूपये ले गये थे, जो नहीं दिये। दवाब बनाने को फर्जी घटना दिखाकर मुकदमा लिखा दिया है। कथित पीड़िता व आवेदक/अभियुक्त का मामा भांजी का पवित्र रिश्ता है। उसने स्वयं दिनांक 01.07.2025 को दिखकर दिया कि वह मामा राकेश बाबू के घर स्वेच्छा से रह रहती है। दिनांक 03.07.2025 को उसके घर छोड़कर आया था। कथित घटना का कोई स्थान नहीं बताया है। मेडिकल परीक्षण आख्या अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना कोई साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा। साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त एक शादीशुदा व्यक्ति है उस पर लगाये गये आरोप वेबुनियाद व झूठे तथ्यों पर आधारित हैं। आवेदक/अभियुक्त का एक 12 वर्षीय पुत्र व पुत्री है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध वादिनी मुकदमा/पीड़िता की ओर से द्वारा अधिवक्ता आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिनी मुकदमा की ओर से उपस्थित उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिनी मुकदमा की ओर से उपस्थित उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत मामले में **आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो कि रिश्ते में अभियुक्त की भांजी है, के साथ डरा धमकाकर जबरदस्ती कई बार बलात्कार करने तथा शादी न करने पर पूरे घर को जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है।** आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रश्नगत अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **राकेश बाबू** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राकेश बाबू** की ओर से मु0अ0सं0–413/2026 धारा–64(2)m.,351(3) बी0एन0एस0 थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के प्रकरण में, प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(संदीपा यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/
विशेष न्यायाधीश,भ्र0नि0अधि0(यू0पी0एस0ई0बी0),
बरेली।

दिनांकः 27.06.2026

ID- UP- 6423

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.07.09 11:24:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court